16/11/22 पत्रावली वास्ते आदेश प्रा०पत्र 212 हेतु
पेश हुई। वकलाय उपस्थित। बहस के
दौरान वादी वकील ने निवेदन किया
कि तकसीम का दावा है। इंच-इंच
पर प्रत्येक का कब्जा है। मकान
बना लेने से मतलब नहीं है वादी
एवं प्रतिवादी को अच्छी में से अच्छी
एवं बुरी में से बुरी आराजी तकसीम
हेतु P.D. पर निश्चित हो चुकी है।
इसलिए जब तक बंटवारा न हो जावे
रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये
रखें। अवगत कराया कि विवादित

Crime-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ति............मुकाम............

............बनाम............

मुकदमा............नं.............सन्............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी 40 वर्षों से बँटी हुई है/ मौका किस दिशा में कब्जा है? कितना-2? कोई खसरा जवाब प्रा०पत्र में नहीं है/ कोई दिशा mention नहीं है/ न ही दिशा mention है। जवाब प्रा०पत्र के पैरा 5 में अंकित किया है कि प्रतिवादी 5 ने विक्रय कर दी। सुविधा का संतुलन असुविधा मुझे होगी। अच्छी भूमि पर इन्होंने कब्जा कर रखा है। अपूर्णीय क्षति भी मुझे ही होगी। इसलिए जब तक बँटवारा न हो जाये T.I. confirm हो। इसके उपरान्त प्रतिवादी वकील ने तर्क दिया कि मैं किसान कोर्ट से रहा था तब इन्होंने stay ले लिया। RRD-सहखातेदार के खिलाफ - DNJ - 2019 - P II - P/ 40 वर्षों से बँटी हुई है/ PD में सहमत हूँ इसलिए मेरे हिस्से तक मुझे T.I से free करने का निवेदन किया। इसके प्रत्युत्तर में वादी वकील ने तर्क दिया कि जवाब दावे में कोई गाड़ी का उल्लेख तक नहीं किया।	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लेखने का लिखा है।
	वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया विचाराधीन प्रकरण विवादित आराजी दोनों पक्षकारान की मुशतरका खातेदारी की भूमि है। सहखातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर कब्जा माना जाता है। विभिन्न उच्च अदालतों द्वारा समय-पर अभिनिर्धारित किया गया है कि एक सहखातेदार संयुक्त खाते की आराजी में दूसरे सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं करवा सकता। चूंकि प्रतिवादीगण भूमि के सहखातेदार हैं तथा आराजी का अभी तक विभाजन नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण वादी के पक्ष में साबित नहीं होता है अपूर्णीय क्षति जैसा कि ऊपर विवेचित किया जा चुका है कि विवादित आराजी में वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है और प्रतिवादी भूमि के सहखातेदार हैं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रतिवादीगण के ही अधिकारों

APP-A
Crime-I

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत SDO मुकाम रैणी

प्रताप मीणा बनाम मुन्नालाल मीणा

मुकदमा नं. ______ सन् ______

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का हनन होगा जिससे अपूर्णीय क्षति भी प्रतिवादीगण को ही होगी। इस प्रकार अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन — चूंकि अस्थाई निषेधाज्ञा से उपरोक्त दोनों बिन्दु प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को रोका जाता है तो उसके अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिससे प्रतिवादीगण को ही असुविधा कारित होने की सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निहित है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रा०पत्र 212 रा०का०अधि० न्यायालय में खारिज किया जाता है। पत्रावली	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर जो तारी
	फैसलशुमार होकर रजिस्टर से कम की जावे। संलग्न मुलतवाद हो। (signature) SDO	